न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री रामा पुत्र डूटा 2. श्री मकना पुत्र डूटा 3. श्री गोवा पुत्र डूटा 4. श्री लक्ष्मण पुत्र डूटा 5. श्री सोमा पुत्र डूटा 6. श्री सका पुत्र सुरता 7. श्री मोहन पुत्र श्री चुना 8. श्री रता पुत्र चुना 9. श्री रीमा पुत्र चुना 10. श्री गमा पुत्र चुना 11. श्री अण्दा पुत्र वाला 12. श्री रूपा पुत्र वाला, जातियान ग्रासिया, समस्त प्रार्थीगण निवासियान चोरवाव फली, चण्डेला, तहसील आबूरोड		1. श्रीमती चिनकी पुत्री देवा 2. श्रीमती भीखली पुत्री देवा 3. श्रीमती मुली पुत्री देवा, जातियान ग्रासिया, निवासियान चण्डेला, तहसील आबूरोड। 4. श्री मुकेश पुत्र कानाराम, जाति, भील, निवासियान चण्डेला, तहसील आबूरोड। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

राजस्व वाद संख्या 29/2019

दिनांक ~~10 2020~~ 05/11/2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व दादा स्वर्गीय श्री डूटा पुत्र श्री नाथा की स्व–अर्जित कब्जे काश्त एवं खातेदारी की निम्न वर्णित खसरा संख्या वाली कृषि भूमि ग्राम सकोडा, पटवार हल्का क्षेत्र बहादुरपुरा, तहसील आबूरोड में स्थित है। उक्त खसरा संख्या की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे चलकर विवादित कृषि भूमि कहा व लिखा गया है।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल रकबा (बीघा व बिस्वा)	
115	06	03
कुल खसरा–1	कुल रकबा 06 बीघा	03 बिस्वा

प्रार्थीगण की वंशावली निम्नानुसार है

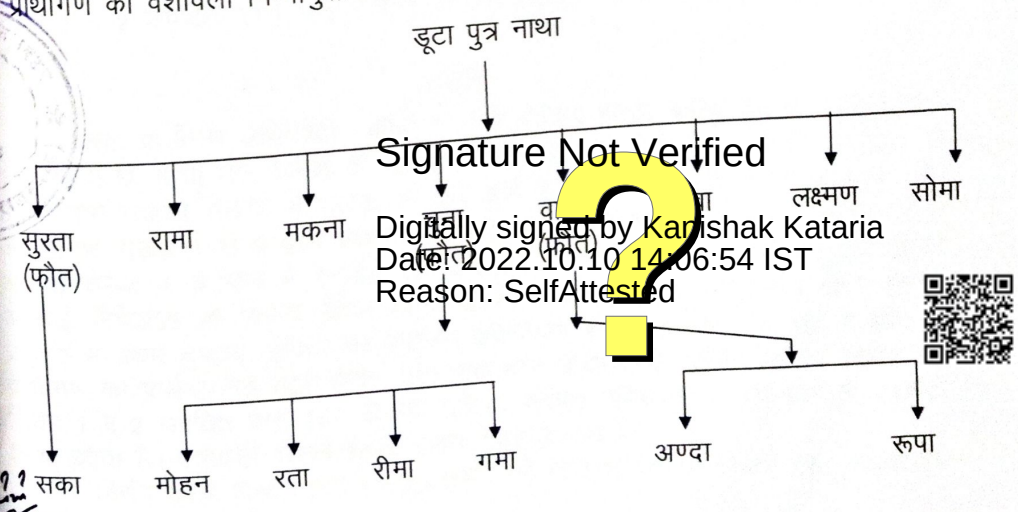

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता–दादा श्री डूटा पुत्र श्री नाथा की सिरोही राज्य के समय से थी तथा उक्त विवादित कृषि भूमि का तत्समय खसरा संख्या 37 रकबा 10.01 बीघा था, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 115 रकबा 06.03 बीघा है। श्री डूटा पुत्र नाथा संवत् 1999 से लेकर वक्त सेटलमेन्ट तक उक्त विवादित कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार थे एवं उनके पश्चात उनके वारिसान प्रार्थीगण आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के पिता–दादा श्री डूटा खेती कर रहे थे तथा श्री देवा पुत्र उमा नामक व्यक्ति को श्री डूटा ने मजदूरी पर खेत में हल जोतने हेतु बुलाया था। तब उस समय मौके पर आये सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण व अधिकारीगण द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों के नाम पता पूछने पर श्री डूटा व श्री देवा ने अपना–अपना नाम पता बताया था। तब सेटलमेन्ट अधिकारीगण–कर्मचारीगण द्वारा उनके नाम, पते नोट कर लिये थे। इस कारण श्री डूटा पुत्र नाथा के साथ–साथ श्री देवा पुत्र उमा का नाम भी भूलवश सहवन से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया था। जबकि दोनों व्यक्तियों डूटा व देवा के मध्य किसी भी प्रकार की कोई नातेदारी नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदारी थी और ना ही दोनों भाई थे। इन दोनों व्यक्तियों की गौत्र तक अलग–अलग है एवं श्री देवा ने प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि में न तो कभी खेती ही की है और ना ही कभी काबिज काश्त है।

डूटा पुत्र नाथा ने उसके जीवनकाल में तथा डूटा के फौत होने पर उसके उत्तराधिकारी प्रार्थीगण द्वारा आज भी उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार खेती कर रहे है तथा प्रार्थीगण व उसके वारिसान का उक्त विवादित कृषि भूमि पर पूर्ण रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 चिनकी, भीखली व मुली को ना तो देखा है और ना ही उन्हें वे जानते–पहचानते है और ना ही उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने कभी भी विवादित कृषि भूमि पर खेती की है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थीगण संख्या 4 को उक्त कृषि भूमि विक्रय की है। इसलिये विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जाना व उनकी जगह प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से चार बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5 का जवाब प्राप्त जिसे शामिल मिसल किया गया।

हमने एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता मौजा सकोडा पटवार हल्का बहादुरपुरा के खसरा नंबर 115 रकबा छः बीघा तीन विस्वा के राजस्व रिकॉर्ड मे वक्त सेटलमेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलती से कैसे दर्ज हुआ साबित करने मे असफल रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रश्नगत आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 4 को करने से अप्रार्थी संख्या 4 वर्तमान मे रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन अप्रर्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष मे होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता मौजा सकोडा पटवार हल्का बहादुरपुरा के खसरा नंबर 115 रकबा छः बीघा तीन विस्वा के राजस्व रिकॉर्ड मे वक्त सेटलमेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलती से कैसे दर्ज हुआ साबित करने मे असफल रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रश्नगत आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 4 को करने से अप्रार्थी संख्या 4 वर्तमान मे रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन अप्रर्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष मे होने से प्रार्थीगण का **प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत